

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2023

[सभा द्वारा यथापारित]



सत्यमेव जयते

2023

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2023

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2023-24 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 8111,77,15,000 (आठ हजार एक सौ ग्यारह करोड़ सतहतर लाख पन्द्रह हजार) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2023

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2023-24 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 8111,77,15,000 (आठ हजार एक सौ ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये की निकासी।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2023 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 8111,77,15,000 (आठ हजार एक सौ ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2023 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2024 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)/ Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	14550000		97723000
		पूंजी/Capital	83173000		
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)/ Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Animal Husbandry Division)	राजस्व/Revenue	71391000		163891000
		पूंजी/Capital	92500000		
3	भवन निर्माण विभाग/ Building Construction Department	राजस्व/Revenue	31700000		31700000
		पूंजी/Capital			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)/ Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co- ordination Division)	राजस्व/Revenue	49350000		49350000
		पूंजी/Capital			
5	राज्यपाल सचिवालय/ Secretariat of the Governor	राजस्व/Revenue		13000000	13000000
		पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग/ Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	1359906000		1359906000
		पूंजी/Capital			
7	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)/ Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	राजस्व/Revenue	12350000		12350000
		पूंजी/Capital			
8	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)/ Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Civil Aviation Division)	राजस्व/Revenue	5750000		5750000
		पूंजी/Capital			

9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)/ Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Co-operative Division)	राजस्व/Revenue	86290000		503290000
		पूंजी/Capital	417000000		
10	ऊर्जा विभाग/ Energy Department	राजस्व/Revenue	2067073000		4740173000
		पूंजी/Capital	2673100000		
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/ Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	9725000		9725000
		पूंजी/Capital			
12	वित्त विभाग/ Finance Department	राजस्व/Revenue	22488361		22488361
		पूंजी/Capital			
13	ब्याज संदाय/ Interest Payment	राजस्व/Revenue		81500000	81500000
		पूंजी/Capital			
16	वित्त अंकेक्षण/ Finance Audit	राजस्व/Revenue	5025000		5025000
		पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/ Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	5272587000		5280893000
		पूंजी/Capital	8306000		
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	2107811000		2307811000
		पूंजी/Capital	200000000		
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	744244000		2800512000
		पूंजी/Capital	2056268000		
21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)/ Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)	राजस्व/Revenue	206839000		206839000
		पूंजी/Capital			
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)/ Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	2134586639		2198586639
		पूंजी/Capital	64000000		
23	उद्योग विभाग/ Industries Department	राजस्व/Revenue	5416000		5416000
		पूंजी/Capital			
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	1113941000		1115941000
		पूंजी/Capital	2000000		

26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग/ Labour, Employment, Training and Skill Development Department	राजस्व/Revenue	49805000		49805000
		पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग/ Law Department	राजस्व/Revenue	126782500		126782500
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय/ High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue		31531000	31531000
		पूंजी/Capital			
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)/ Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Minorities Welfare Division)	राजस्व/Revenue	9181000		9181000
		पूंजी/Capital			
31	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)/ Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Parliamentary Affairs Division)	राजस्व/Revenue	1000000		1000000
		पूंजी/Capital			
32	विधान सभा/ Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	6590000	500000	7090000
		पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)/ Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	राजस्व/Revenue	34655000		34655000
		पूंजी/Capital			
35	योजना एवं विकास विभाग/ Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	1000000		1000000
		पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	5306734000		14030844000
		पूंजी/Capital	8724110000		
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)/ Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	राजस्व/Revenue	473000		473000
		पूंजी/Capital			

40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)/	राजस्व/Revenue	482814000		482814000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग/ Road Construction Department	राजस्व/Revenue	3157000		503157000
		पूंजी/Capital	500000000		
42	ग्रामीण विकास विभाग/ Rural Development Department	राजस्व/Revenue	10993266000		10993266000
		पूंजी/Capital			
43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)/ Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)	राजस्व/Revenue	70010000		70010000
		पूंजी/Capital			
44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ School Education and Literacy Department	राजस्व/Revenue	1450000		1450000
		पूंजी/Capital			
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)/ Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	राजस्व/Revenue	5939000		5939000
		पूंजी/Capital			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)/ Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	राजस्व/Revenue	6118978000		6185486000
		पूंजी/Capital	66508000		
49	जल संसाधन विभाग/ Water Resources Department	राजस्व/Revenue	21400000		1021400000
		पूंजी/Capital	1000000000		
50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ Water Resources Department (Minor Irrigation Division)	राजस्व/Revenue	4100000		324100000
		पूंजी/Capital	320000000		
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)/ Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	राजस्व/Revenue	5157637000		5157637000
		पूंजी/Capital			

52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)/ Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	राजस्व/Revenue	508659000		521159000
		पूंजी/Capital	12500000		
53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)/ Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)	राजस्व/Revenue	79949000		79949000
		पूंजी/Capital			
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)/ Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	राजस्व/Revenue	77332000		77332000
		पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण कार्य विभाग/ Rural Works Department	राजस्व/Revenue	3048490000		14133490000
		पूंजी/Capital	11085000000		
56	पंचायती राज विभाग/ Panchayati Raj Department	राजस्व/Revenue	259893000		259893000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)/ School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	2434000		2434000
		पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)/ School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	राजस्व/Revenue	1091259000		1091259000
		पूंजी/Capital			
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/ Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	4882852000		4902708500
		पूंजी/Capital	19856500		
योग /Total		राजस्व/Revenue	53666862500	126531000	53793393500
		पूंजी/Capital	27324321500		27324321500
महायोग / Grand Total			80991184000	126531000	81117715000

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष।